न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 95–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–12–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 152/अपील/2014–1205.

1– श्रीमती जमनाबाई विधवा स्व0 रतन सिंह,
निवासीग्राम वीरपुर, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन

2– श्रीमती सुषमा बाई पुत्री स्व0 रतन सिंह पत्नी
कैलाश, निवासी ग्राम वीरपुर, तहसील बेगमगंज,
जिला रायसेन ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– पूरन सिंह पुत्र स्व0 आलम सिंह,
निवासी ग्राम वीरपुर, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन

2– राजवीर पुत्र श्री पूरनसिंह ,
निवासी ग्राम वीरपुर, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन

3– म0प्र0 शासन ..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री फारूक सिद्दकी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के पूर्वज स्व0 रतन सिंह द्वारा तहसीलदार बेगमगंज के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा वीरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 167, 186/1, 186/2, 192 कुल किता 4 रकबा 11,53 एकड़, मौजा इटिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 87, 88, 89 ,90, 91, 100, 101, 113, 114 कुल किता 9 रकबा 22.66 एकड़ एवं मौजा भैसबाईखुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 207, 227, 246 कुल किता 3 रकबा 18,76 एकड़ उभय पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, और उभय पक्ष की पैतृक भूमि है, और आपसी बटवारा होकर, अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है, परंतु शासकीय अभिलेख में बटवारा न होने के कारण भूमि को उन्नतशील नहीं बना पा रहे हैं, अतः उक्त भूमियों का बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 69/अ–27/2011–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई, कार्यवाही के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 7–5–2015 को आदेश पारित किया जाकर स्वर्गीय रतन सिंह के स्थान पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकृत किया जाकर, निर्देश दिये गये कि यदि आवेदक चाहे तो पृथक से बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–8–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर, आलम सिंह के तीनों वैध उत्तराधिकारी पूरन सिंह, स्वर्गीय रतन सिंह के स्थान पर उनके उत्तराधिकारी जमना बाई एवं पुत्री सुषमा बाई तथा रूज्जो बाई के स्थान पर उसके हिस्से की भूमि का वसीयत के आधार पर राजवीर पुत्र पूरन सिंह के मध्य 1/3–1/3–1/3 अनुसार हिस्सा बटवारा स्वीकृत किया गया । साथ ही निर्देशित किया गया कि पटवारी मौके एवं कब्जे के अनुसार तीन पृथक पृथक खाते कायम करने हेतु फर्द बटवारा, एवं संशोधित नक्शा मय पंचनामा प्रस्तुत कर तहसीलदार से अनुमोदित कराकर संशोधित खातों (3–1) एवं खसरा कम्प्यूटराईज्ड प्रति तहसीलदार को प्रस्तत करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 22–12–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा वसीयत के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । ऐसी स्थिति में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो गया था । इस कारण स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराना था, परन्तु बिना निराकरण कराये आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा मृतक रतनसिंह के वारिसों को अभिलेख पर लिया गया था और तहसीलदार द्वारा नामांतरण एवं बटवारे का कोई आदेश पारित नहीं किया गया । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारे का आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(3) वसीयतकर्ता रज्जोबाई की पुत्री उमेदीबाई अभी जीवित है और उसे बिना पक्षकार बनाये रतन सिंह द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में बिना उमेदीबाई को पक्षकार बनाये एवं सूचना दिये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । इटिया एवं वीरपुर की भूमि पर रतनसिंह एवं पूरनसिंह का बराबर–बराबर हिस्सा है और उक्त भूमि पर रज्जोबाई का नाम दर्ज नहीं है । ग्राम भैंसबाई खुर्द की जमीन पर 25 पैसे का हक रज्जोबाई का है । एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयत के आधार पर 1/3 का हिस्सा पूरनसिंह को देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वसीयतनामा की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं हुई है और न ही वसीयतनामा प्रदर्शित किया गया है । अतः वसीयत के आधार पर आदेश पारित करने में अनुविभागीय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

(4) वसीयतनामा को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं साक्ष्य अधीनियम की धारा 66 एवं 68 के अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है ।

(5) आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख काल्पनिक रूप से किया गया है कि आवेदकगण द्वारा लिखित बहस में वसीयत को स्वीकार किया गया है जबकि आवेदकगण ने वसीयत का विरोध किया है ।

(6) आवेदक कमांक–2 ने अपनी आपत्ति में स्वयं स्वीकार किया है कि उसके पिता एवं रतनसिंह पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार आधी–आधी भूमि पर काबिज है, इससे भी वसीयत नामा संदिग्ध हो जाता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत है कि आवेदन–पत्र में रतनसिंह के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिये इस स्तर पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है । यह भी कहा गया है कि वसीयतनामा प्रदर्शित हुआ है और अनावेदकगण द्वारा अंतिम आदेश पारित करते समय वसीयतनामा वापिस लिया है । तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह तर्क त्रुटिपूर्ण है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा फोटोकॉपी पर साक्ष्य ली गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदगण द्वारा वसीयत को विधिवत साक्षियों से प्रमाणित किया गया है । यह भी कहा गया कि 3 वर्ष तक प्रकरण चलने के उपरांत फौती नामांतरण के आधार पर प्रकरण वापिस लेना चाहते हैं, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण द्वारा उमेदीबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि रतनसिंह की पुत्री है और प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का 1/3 हिस्सा है ।

प्रतिउत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि उमेदीबाई को पक्षकार बनाने से पूर्व ही निगरानी प्रस्तुत कर दी गई थी, इसलिये प्रकरण वापिस लिया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वंशवृक्ष में भिन्नता है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमों में जो वंशवृक्ष प्रस्तुत किया गया है, लिखित बहस में उससे भिन्न वंशवृक्ष प्रस्तुत किया गया है । आवेदक कमांक 2 द्वारा तहसील न्यायालय में अपने आपको रज्जोबाई का एकमात्र पुत्री बतलाया गया है, जबकि रज्जोबाई की पुत्री उमेदीबाई है, और उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि रज्जोबाई का नाम सम्पूर्ण भूमि पर दर्ज नहीं था । यहां यह भी विचारणीय है कि आयुक्त द्वारा यह तो मान्य किया गया है कि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार अपीलीय न्यायालय को नहीं है, इसलिए प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है, परन्तु आयुक्त

द्वारा साक्ष्य आदि ली जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर अंतिम निराकरण नहीं किया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर